छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 2011
(फाल्गुन-12, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय श्री बैदूराम कश्यप का जन्म दिवस है। मैं अपनी तथा सदन की ओर से उन्हें लंबी संसदीय यात्रा हेतु शुभकामनाएं देता हूं। वे यशस्वी रहें और स्वस्थ रहें।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 1291) पर चर्चा के दौरान अत्यधिक व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.31 बजे स्थगित होकर 11.47 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को सदन में बुलाये जाने की मांग की गई। सत्ता पक्ष द्वारा सभा में अभद्र भाषा के प्रयोग की ओर भी आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया गया। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने देने में सहयोग का आग्रह किया तथा व्यवस्था दी कि - मैं दिखवा लूंगा। यदि कोई ऐसी बात है तो मैं उसे विलोपित करवा दूंगा और संबंधित मंत्री एवं सदस्यों को निर्देशित भी करूंगा।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.03 बजे स्थगित की जाकर 12.22 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य का नाम पुकारा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग का आग्रह किया।

निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.26 बजे स्थगित की जाकर 1.09 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष द्वारा पुनः ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य का नाम पुकारा गया।

निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 1.12 बजे स्थगित की जाकर पुनः 3.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा कि आज सभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 03 पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने मेरा ध्यान माननीय मंत्री श्री राजेश मूणत द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संबंध में आकर्षित किया था।

तत्समय मैंने यह व्यवस्था दी थी कि इस प्रकार की कोई बात आयी है तो मैं दिखवा लूंगा और संबंधित मंत्री एवं सदस्यों को निर्देशित भी करुंगा।

मैंने प्रश्न पर संपूर्ण कार्यवाही का अवलोकन किया। कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल ने प्रश्नोत्तर के दौरान यह कथन किया कि "कहां है रमन सिंह, बुलवाईये उनको, उनको जवाब देना पड़ेगा"। इसके प्रत्युतर में माननीय मंत्री श्री राजेश मूणत ने कथन किया कि "अरे बैठिये ना, मंत्री जी उत्तर दे रहें हैं, हम लोग हैं ना"। इसके अलावा उनके द्वारा कुछ कहा हो ऐसा कार्यवाही से विदित नहीं होता। कार्यवाही में सदन में बॉडी लैंग्वेज पर ही मुख्यतः आपत्ति की है और बॉडी लैंग्वेज किस सदस्य की कैसी रही इसका उल्लेख सभा की कार्यवाही में नहीं होता।

मेरा समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी बात कहते समय असंसदीय एवं असम्मानजनक भाषा का प्रयोग न करें और यह भी प्रयास करें कि शब्दों का चयन, अपनी बात कहते समय अपनी भाव-भंगिमा भी शालीन रखें ताकि किसी अन्य सदस्य को किसी सदस्य की भाव-भंगिमा चुभे नही।

मैं इस मामले को यहीं समाप्त करता हूं और कार्यवाही में से निम्नांकित अंशों को विलोपित करता हूं:-

1. "उनको जवाब देना पड़ेगा"
2. "रमन सिंह ने बेचा"
3. "हट, हट, हट"
4. "ये मिस्टर राजेश मूणत मंत्री जब देखो तब गुण्डागर्दी से बात करते हैं"
5. "कहां है मुख्यमंत्री हमारे सामने आये, क्या इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है?"

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य का नाम पुकारा।

माननीय सदस्य व्यवधान के कारण सूचना नहीं पढ़ सके।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारे लगाए गए। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग का अनुरोध किया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा रोगदा बांध की बिक्री को निरस्त करने एवं संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने की मांग की गई। श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियम प्रक्रिया के अंतर्गत आसंदी जो भी निर्देश दे, उसका पालन करने के लिए शासन तैयार है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की जाती रही। माननीय अध्यक्ष ने पुनः प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग का आग्रह किया।

निरंतर व्यवधान के कारण अपराह्न 3.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 4 मार्च, 2011 (फाल्गुन 13, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा